


**बिहार सरकार**  
**खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग**  
**अधिसूचना**

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत बिहार आपूर्ति सेवा के निम्नांकित सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-5 में अंकित अनुमंडल/स्थान में स्थानान्तरित एवं पदस्थापित किया जाता है। एतद् संबंधी पूर्व में विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेश, यदि कोई हो, तो उसे विलोपित समझा जाय।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम एवं गृह जिला	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापन स्थान	पदस्थापित स्थान
1	2	3	4	5
1	श्री विजय कुमार रजक, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	पटना	मधेपुरा, सदर	जगदीशपुर, भोजपुर
2	श्री अनिल कुमार महतो, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	दरभंगा	सीतामढ़ी, सदर	अतिरिक्त प्रभार शिवहर
3	श्री किशोर कुमार मिश्र, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	पूर्वी चम्पारण	जयनगर, मधुबनी	अतिरिक्त प्रभार फुलपरास, मधुबनी
4	श्री अंजनी कुमार श्रीवास्तव, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	पूर्वी चम्पारण	पटना सीटी	सहायक अनुभाजन पदाधिकारी पटना के रिक्त पद पर
5	श्री नवीन कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	पटना	उदाकिशुनगंज, मधेपुरा	रोसड़ा, समस्तीपुर
6	श्री शशिभुषण कुमार सिंह, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	रोहतास	आरा सदर, भोजपुर	मधेपुरा, सदर
7	श्री कुमार विमल सिंह, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	रोहतास	मुंगेर	आरा, सदर



(50)

8	श्री मिथिलेश कुमार, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	भोजपुर	दाउदनगर, औरंगाबाद	डुमरांव, बक्सर
---	--	--------	----------------------	----------------

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(विद्युभूषण चौधरी)

सरकार के उप सचिव ।

ज्ञापांक- प्र03-स्था0-01-08/2015 5015

खाद्य, पटना/दिनांक-30.06.15

प्रतिलिपि-

सम्बन्धित

प्रमंडलीय

आयुक्त/जिला

पदाधिकारी/सम्बन्धित उप निदेशक, खाद्य/संबन्धित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आप्त सचिव/आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/संबन्धित सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

2. सभी संबन्धित नियंत्रि पदाधिकारी से अनुरोध है कि स्थानांतरित सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना एक सप्ताह के अन्दर स्थानांतरित अनुमंडल में योगदान करने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर दें । यदि किसी को निर्वाचन संबंधी कार्य में लगाया गया है तो निर्वाचन कार्य की समाप्ति के बाद तत्काल विरमित कर दें ।

3. जुलाई, 2015 का वेतन सभी सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे ।

सरकार के उप सचिव ।